न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 17 / 2022 (2022 / 00017) जिला–अजमेर

पुखराज दगदी पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली आयु करीबन 57 वर्ष निवासी ग्राम कोठी चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अधिकृत जरिये सुशीला देवी पत्नी श्री भंवर सिंह सिंगोदिया।

———अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील कार्यालय पुष्कर जिला–अजमेर।
2. पटवारी, पटवार हल्का बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर दिनांक 24–11–2021
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32 / 2021
बउनवान पुखराज दगदी बनाम तहसीलदार व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री जगदीश चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 05–12–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–2021 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी आदेश पारित किया है क्योंकि दिनांक 24–11–2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्राम बांसेली में स्थित था तथा उक्त दिवस को कैम्प होने से पीठासीन अधिकारी न्यायालय इजलास में मौजूद नहीं थे और उक्त दिवस को जब न्यायालय का कार्य ही नहीं हुआ तो अपीलार्थी की बहस सुनना और पत्रावली का अवलोकन करना अपने आप में ही गैर कानूनी है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट था कि ग्राम बांसेली के वर्किंग खसरा नम्बर 212 जिसके नवीन खसरा नम्बर 172/1417 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म चाही तथा खसरा नम्बर 174 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता है तथा उक्त दोनों खसरा नम्बरों का वर्किंग खसरा नम्बर 212 है जो कि वर्किंग जमाबंदी में किस्म बारानी अंकित है तथा चौसाला में भी उक्त भूमि बारानी अंकित है तथा विक्रय पत्र दिनांक 8–5–1968 में भी उक्त भूमि बारानी अंकित है उक्त ठोस दस्तावेजी साक्ष्य होने के बावजूद भी विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय को यह मानना चाहिए कि भू–प्रबन्ध विभाग को बिना किसी विधि से स्थापित न्यायालय या प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के राजस्व प्रवृष्ठि को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है तथा भू–प्रबन्धन के दौरान विभाग के द्वारा बारानी भूमि को बिना कोई रास्ता मौके पर अवस्थित हुए बिना गैर मुमकिन रास्ता अंकित कर दिया जो गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी के द्वारा दिनांक 25–10–2021 को पत्र जारी किया गया उसी को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में यह अंकित करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का ना होकर भूमि का वर्गीकरण किस्म के परिवर्तन का है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 140 भू–राजस्व अधिनियम का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है जबकि धारा 140 भू–राजस्व अधनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब पूर्व के अभिलेखों से वर्तमान अभिलेख त्रूटिपूर्ण होना साबित हो जाता है तो वर्तमान अभिलेख धारा 136 सपठित धारा 140 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्ती योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि वर्किंग जमाबंदी में आराजी की किस्म बारानी अंकित थी और बिना किसी कारण तथा बिना किसी आदेश के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित कर दी गई जो त्रूटिपूर्ण अंकित किया जाना दस्तावेजों से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल मात्र धारा 136 के अन्तर्गत अनुशंसनीय नहीं होना अंकित किया है किन्तु अपने आदेश में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि किस कारण वह अनुशंसनीय है तथा

ऐसे प्रकरण की सुनवाई का क्षैत्राधिकार किसे प्राप्त है। दौराने भू–प्रबन्ध यदि कोई त्रुटिपूर्ण अंकन या प्रविष्ठि हो जाती है तो उसे दुरूस्त करने का एक मात्र वैधानिक तरीका धारा 136 सपठित धारा 140 भू–राजसव अधिनियम ही है इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विधि का तरीका अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में नहीं किया है और न ही प्रत्यर्थी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2021 निरस्त किया जाकर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। धारा–136 तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को व पक्षकारों की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड में किस्म परिवर्तन धारा 136 में अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी किस्म परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बांसेली के वर्किंग खसरा नम्बर 212 जिसके नवीन खसरा नम्बर 172/1417 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म चही तथा खसरा नम्बर 174 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता है तथा उक्त दोनों खसरा नम्बरों का वर्किंग खसरा नम्बर 212 है जो कि वर्किंग जमाबंदी में किस्म बारानी अंकित है तथा चौसाला में भी उक्त भूमि बारानी अंकित है तथा विक्रय पत्र दिनांक 8–5–1968 में भी उक्त भूमि बारानी अंकित है दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही विवादित आराजियात बारानी के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता अंकन कर दिया।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि तहसीलदार, पुष्कर की रिपोर्ट दिनांक 25–10–2021 के अनुसार ग्राम बांसेली की हाल सेग्रिगेशन जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 392 में खसरा संख्या 174 रकबा 0.04 किस्म गै0मु0रास्ता पुखराज पुत्र मांगीलाल जाति माली सा0 चावण्डिया कोठी खातेदार हिस्सा 43/47 तथा सुशीला देवी पत्नी भंवर सिंह सिंगोदिया हिस्सा 4/47 जाति माली मून्दड़ी मोहल्ला अजमेर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम बांसेली के हाल खसरा नम्बर 174 किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर किस्म

बारानी करके इन्द्राज दुरूस्ती चाही है। प्रस्तुत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का न होकर भूमि के किस्म परिवर्तन का है जो कि धारा 136 के अन्तर्गत अनुशंषनीय नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि धारा–136 तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कोई गलती को नोटिस किया जावे तो संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद और किसी पक्षकार द्वारा अपनी ओर से गलती होना जाहिर किया जावे तो भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा ऐसी गलतियों को दुरूस्त किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण राजस्व रेकार्ड में किस्म परिवर्तन से संबंधित है जो धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी राजस्व रेकार्ड में किस्म परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। इस अपील में अपीलार्थी को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2021 बउनवान पुखराज दगदी बनाम तहसीलदार व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर